



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

असारी नगर, नई दिल्ली-110029

भर्ती सूचना सं.1/2019

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा केन्द्र सरकार के चार अस्पतालों अर्थात् (1. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आर.एम.एल.एच.), 2. सफदरजंग अस्पताल (एस.जे.एच.), 3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एल.एच.एम.सी.) तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (एस.एस.के.एच.) और 4. कलावती सरन बाल अस्पताल (के.एस.सी.एच.) नई दिल्ली में नर्सिंग अधिकारी के पद को भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में सामान्य आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली में रिक्ति का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.सं.	पद का नाम, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन तथा अनिवार्य पात्रता मापदंड	समूह	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पद (पदों)* की संख्या एवं आरक्षण	चयन प्रक्रिया
1	<p>नर्सिंग अधिकारी, वेतन मेट्रिक्स में लेवल 07 (रु. 9300-34800 के पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-2 सहित रु. 4600/- का ग्रेड वेतन</p> <p>शैक्षिक योग्यताएं</p> <p>1. (i) भारतीय नर्सिंग परिषद /राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्व-विद्यालय से बी.एस-सी. (ऑनर्स) नर्सिंग/ बी.एस-सी. नर्सिंग;</p> <p>अथवा</p> <p>भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से बी.एस-सी. (पोस्ट सर्टिफिकेट)/पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. नर्सिंग;</p> <p>(ii) राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद से नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत अथवा</p>	ख	18 से 30 वर्ष	<p>503 पद (अनारक्षित- 282, अ.जा.- 66, अ.ज.जा.- 32 और अ.पि.व.-123)</p> <p>52 पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित हैं (पिछले बकाया 32 रिक्त पद शामिल हैं)</p> <p>**पीडब्ल्यूबीडी पात्रता का विवरण अनुलग्नक-1 पर देखा जा सकता है।</p>	केवल लिखित परीक्षा

97-10-11/19

<p>11. (i) भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड अथवा परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा; (ii) राज्य/ भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड अथवा परिषद से नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत; (iii) उपर्युक्त पद 11.(i) में वर्णित शैक्षिक योग्यताओं के अर्जन के बाद न्यूनतम 50 बिस्तर वाले अस्पताल में दो वर्ष का अनुभव</p>				
<p>*उल्लिखित पदों की संख्या अनंतिम है तथा संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती है।</p>				

सामान्य शर्तें

1. इस पद में दिल्ली/नई दिल्ली में तैनात समान स्तर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य सामान्य भत्ते शामिल हैं।
2. सभी तरह से पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले इच्छुक आवेदक अपना आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण अ.भा.आ.सं. की वेबसाइट www.aiimsexams.org पर दिनांक 01.08.2019 से 21.08.2019 को सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की पंजीकरण रसीद सहित कोई भी दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है तथापि, सभी आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि अपने रिकॉर्ड के लिए वे भुगतान के प्रमाण सहित पंजीकरण रसीद की एक प्रतिलिपि अपने पास रखें।
3. ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 21.08.2019 को सायं 05.00 बजे समाप्त हो जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, जो निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने में असफल रहते हैं, की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. वे ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सभी पात्रता मापदंडों को अवश्य पूरा करते हों, ऐसा न होने पर उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया स्वरूप आवेदन करने वाले आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें।



6. उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनकी फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान सामान्य लिंक में दिए गए 'अपलोड इमेज निर्देश' में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार है तथा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरते समय प्रीव्यू में सुस्पष्ट है। यदि फोटो/हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की इमेज 'अपलोड इमेज निर्देश' में दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अतः अपनी फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान सावधानीपूर्वक अपलोड करें।

7. आवेदन शुल्क:

- 1) क) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार - रु. 1500/- (पंद्रह सौ रुपये मात्र)
 ख) अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार/ई.डब्ल्यू.एस. - रु. 1200/- (बारह सौ रुपये मात्र)
 ग) दिव्यांगजन - छूट प्राप्त

2) उम्मीदवार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यथा लागू ट्रांजेक्शन/प्रोसेसिंग शुल्क उम्मीदवार द्वारा बैंक को देय होगा, यदि कोई हो।

3) एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

4) निर्धारित शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8. आयु में छूट:

- 1) सभी अन्य योग्यताओं (अनुभव) के संबंध में पात्रता निर्धारित करने के लिए ऊपरी आयु सीमा ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 21.08.2019 कट ऑफ तिथि होगी।
- 2) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवार आयु में छूट, जो इन वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अन्यथा स्वीकार्य है, के पात्र नहीं होंगे।
- 3) विभिन्न आवेदकों को अनुमेय आयु छूट निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक आयु में छूट संबंधी
1.	अ.जा./अ.ज.जा.	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
3.	पी.डब्ल्यू.बी.डी.	10 वर्ष
4.	पी.डब्ल्यू.बी.डी.+अ.पि.व.	13 वर्ष
5.	पी.डब्ल्यू.बी.डी.+अ.जा./अ.ज.जा.	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक और ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारीगण	5 वर्ष (विस्तृत विवरण के लिए अनुलग्नक-11 का संदर्भ लें)
7.	केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी - समूह - ख के पदों हेतु	

Dr. (M. J. M)

1) केन्द्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी (सामान्य/ अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्षों की नियमित एवं निरंतर सेवा की हो	5 वर्ष
2) केन्द्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी (अ.पि.व.) जिन्होंने आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्षों की नियमित एवं निरंतर सेवा की हो	8 (5+3) वर्ष
3) केन्द्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी (अ.जा./अ.ज.जा.) जिन्होंने आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्षों की नियमित एवं निरंतर सेवा की हो	10 (5+5) वर्ष

* यदि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आयु में छूट के प्रावधान का लाभ दिया जाता है एवं वह अनारक्षित सीट के लिए मेरिट में योग्य समझा जाता है तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों को अनारक्षित के लिए नहीं बल्कि संबंधित आरक्षित वर्ग की सीट के लिए ही योग्य समझा जाएगा।

9. किसी भी आरक्षित वर्ग अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के जमा करने पर ही विचार किया जाएगा। अ.पि.व. वर्ग के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डी.ओ.पी. एंड टी. के का.जा.सं.36036/2/2013-स्था.(आ.) दिनांक 30.05.2014 के द्वारा प्रदान किए गए फार्मेट में जाति का प्रमाणपत्र अवश्य लाना चाहिए, जो ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि से एक वर्ष से पूर्व जारी नहीं हुआ हो। प्रमाणपत्र को केन्द्रीय सरकारी संस्थानों में रोजगार के लिए अवश्य वैध होना चाहिए। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की योग्यता भारत सरकार की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों पर आधारित होगी। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होना चाहिए। उनकी उप-जाति अ.पि.व. की केन्द्रीय सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए, ऐसा न होने पर उनकी अभ्यर्थियों पर आवेदित किसी भी आरक्षित वर्ग के तहत विचार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें अनारक्षित के रूप में समझा जाएगा।
- (iii) दिव्यांगजन (पी.डब्ल्यू.डी.) के लिए यथाविधि संगठित एवं प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004-स्था (आ.) के अनुसार निर्धारित प्रोफॉर्म (प्रपत्र) में दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। पी.डब्ल्यू.बी.डी. से संबंधित विवरणों को संलग्नक-1 में देखा जा सकता है।
- (iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी) के अंतर्गत विज्ञापित रिक्तियां,

Dr. M. M. M.

दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय जापन संख्या 36039/1/2019-स्था(आ.) के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (ई.डब्ल्यू.एस.) के उम्मीदवारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र पर आय और संपत्ति का प्रमाण-पत्र देने पर ही और जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र की असलियत के सत्यापन होने पर विचार किया जाएगा।

10. ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित परीक्षा
ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित परीक्षा निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी:

क्र.सं.	ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित परीक्षा की तिथि	जिन शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी	परिणाम घोषित करने की तिथि
1.	15.09.2019 (रविवार)	भारत के प्रमुख शहरों में	24.09.2019

11. परीक्षा के आवेदन संबंधी विस्तृत सूचना अर्थात् (आवेदन के अपलोड करने की तिथि की स्थिति, प्रवेश पत्र अपलोड करने की तारीख आदि) परीक्षा के संचालन और परिणाम से संबंधित सूचनाएं परीक्षा की योजना के तहत परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली द्वारा आने वाले समय में अ.भा.आ.सं. की वेबसाइट www.aiimsexams.org पर अपलोड की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अ.भा.आ.सं. की वेबसाइट www.aiimsexams.org से अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें क्योंकि प्रवेश-पत्र, डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित परीक्षा के समय अ.भा.आ.सं. की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए प्रवेश-पत्र को लेकर आए तथा उसे परीक्षा समाप्त होने के बाद निरीक्षक को सौंप दें। यदि वे ऐसा करने में असफल होते हैं तो ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित परीक्षा में उनकी अभ्यर्थिता (उम्मीदवारी)/निष्पादन पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों को परिणाम की घोषणा के बाद जो तिथि सूचित की जाएगी उसी तिथि पर सत्यापित किया जाएगा। ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित परीक्षा के आधार पर, अनंतिम रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नीचे दिए गए मूल प्रमाण-पत्रों को उनकी विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित/स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी। अपेक्षित दस्तावेज हैं- (i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पंजीकरण पर्ची की डाउनलोड प्रति (ii) प्रवेश-पत्र की डाउनलोड प्रति (iii) जन्मतिथि को दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र (iv) यदि अनु.ज./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के अंतर्गत आवेदन किया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनु.ज./अनु.ज.जा./अ.पि.व. संबंधी जाति-प्रमाण-पत्र (v) दिव्यांग प्रमाण-पत्र, यदि पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है। (vi) यदि नियमित रोजगार में है तो 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (vii) शैक्षिक अर्हता (viii) भारतीय नर्सिंग परिषद/ राज्य नर्सिंग परिषद पंजीकरण (ix) अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि है।
14. जो अभ्यर्थी, राज्य/केन्द्र सरकार/पी.एस.यू. में नौकरी करते हैं वे दस्तावेजों के सत्यापन के

Dr. Anil

दौरान नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" अवश्य जमा करें।

15. इसमें उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कोई भी विवाद केवल दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
16. आवेदन-पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश/निर्देश: कृपया www.aiims.edu और www.aiimsexams.org पर उपलब्ध सहायता पुस्तिका देखें।
17. केन्द्र सरकार के चार अस्पतालों अर्थात् (1. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आर.एम.एल.एच.), 2. सफदरजंग अस्पताल (एस.जे.एच.), 3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एल.एच.एम.सी.) तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (एस.एस.के.एच.) और 4. कलावती सरण बाल अस्पताल (के.एस.सी.एच.) नई दिल्ली के नर्सिंग अधिकारी के पद हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा संचालित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 25 जुलाई, 2019 के पत्र सं.जेड-28015/01/2019-एच.-I द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार, परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली द्वारा एम्स, नई दिल्ली तथा उपर्युक्त वर्णित अस्पतालों के नर्सिंग अधिकारी के पद हेतु एक संयुक्त ऑनलाइन (सी.बी.टी.) आधारित भर्ती परीक्षा का आयोजन एम्स, नई दिल्ली तथा अन्य अस्पतालों के भर्ती नियमों के अनुसार उपर्युक्त सभी संस्थानों/अस्पतालों हेतु एकल पंजीकरण प्रक्रिया के साथ किया जाएगा। पदों का विवरण एम्स, नई दिल्ली तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (सभी चार केन्द्र सरकार अस्पताल हेतु नोडल अस्पताल) के विज्ञापनों में अलग-अलग दिया गया है। तथापि, उम्मीदवार को एकल ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र में अपने चयन की वरीयता को देना होगा। नियुक्ति संबंधित संस्थान/अस्पताल हेतु उम्मीदवार की पात्रता के पूर्ण होने के अधीन है। अतः उम्मीदवार किसी एक अथवा एक से अधिक संस्थानों/अस्पताल हेतु पात्र हो सकते हैं। उत्तीर्ण उम्मीदवार यथा लागू अपनी मेरिट और पात्रता के आधार पर संस्थानों/अस्पतालों को चुन सकते हैं।

ह.

प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती)



पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु व्याख्यात्मक नोट

- दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा 32 (1) में वर्णित अपंगता वाले सभी पी.डब्ल्यू.बी.डी. उम्मीदवार इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे अपंगता के बैंच मार्क के समकक्ष अथवा 40% से अधिक अपंग हो।
 - दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के अनुसार विभिन्न नई जोड़ी गई अपंगता की श्रेणियों के लिए योग्य पद की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। अन्तरिम में, यह निर्णय किया गया कि एसिड अटैक से पीड़ित अन्य बैंच मार्क अपंगताओं वाले तथा अपंगताओं की अन्य नई श्रेणियों वाले, पी.डब्ल्यू.बी.डी. श्रेणी के तहत नर्सों की भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं।
 - आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वह शारीरिक आवश्यकताओं जैसे (बैठना), (खड़े होना), (चलना), (देखना), (पढ़ना और लिखना) और (सम्प्रेषण) करने में सक्षम हैं।
 - आवेदक को पी.डब्ल्यू.बी.डी. हेतु लिखित परीक्षा में 40% कट-ऑफ को उत्तीर्ण करना होगा।
 - लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत ऐसे उम्मीदवारों को पद हेतु अपनी उपयुक्तता को प्रमाणित करने के लिए एम्स द्वारा गठित बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच करवानी होगी।
- * दिनांक 15.01.2018 के डी.ओ.पी.टी. कार्यालय जापन संख्या-36035/02/2017-स्था. (आ.) के अनुसार यह छूट मानक, बैंच मार्क अपंगता वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगी, चाहे वे सामान्य/अनु.ज./अनु.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित क्यों न हों। इसके अतिरिक्त मानकों की कोई और छूट किसी भी श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार्य अथवा ग्राह्य नहीं होगी।



भूतपूर्व-सैनिक वर्ग के अर्न्तगत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु व्याख्यात्मक विवरण

<p>भूतपूर्व-सैनिक और ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सत्यापित करने के बाद पांच वर्ष के लिए इस शर्त पर कि एक भूतपूर्व-सैनिक द्वारा सशस्त्र बलों में की गई नियमित सेवा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर छह महीने से कम न हो। यह छूट ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. के लिए भी उपलब्ध है, जो मिलिट्री सेवा के पांच वर्षों की प्रारंभिक अवधि पूरी कर चुके हैं और उनकी सेवा अंतिम तिथि के रूप में पांच वर्ष तक बढ़ा दी गयी है और इस मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि इनको नियुक्ति पत्र के प्राप्त होने की तिथि से चयनित होने के 3 महीने के अंदर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। <p>टिप्पणी: भूतपूर्व-सैनिक, जो केन्द्र सरकार के अधीन पहले से ही एक असैनिक पद पर नियमित कार्य कर रहे हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार के तहत किसी उच्च पद या सेवा में अन्य रोजगार का प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व-सैनिक के स्वीकार्य अनुसार आयु में छूट के लाभ की अनुमति है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • आयु में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रोफोर्मा में एक प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त में छूट प्राप्त करने के लिए, संबंधित अभ्यर्थियों को एक प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित होगा कि उनको रक्षा बलों से मुक्त कर दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक और ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्र नीचे निर्दिष्ट उचित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और रक्षा बलों में सेवा की अवधि भी निर्दिष्ट होनी चाहिए:- <p>(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में:</p> <p>स्थल सेना: कार्मिक सेवा निदेशालय, स्थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली</p> <p>जल सेना: कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसैनिक मुख्यालय, नई दिल्ली</p> <ul style="list-style-type: none"> • वायुसेना: कार्मिक सेवा निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली <p>(ii) जे.सी.ओ./ओ.आर. और जल सेना एवं वायु सेना के समानार्थक मामले में:</p> <p>स्थल सेना: विभिन्न रेजिमेंट रिकॉर्ड कार्यालयों से।</p> <p>जल सेना: नौसैनिक रिकॉर्ड, मुम्बई</p>
---	--

(Handwritten Signature)

		<ul style="list-style-type: none"> वायुसेना: वायुसेना रिकॉर्ड, नई दिल्ली। उपर्युक्त (क) के अर्न्तगत छूट प्राप्त करने हेतु।
--	--	---

टिप्पणी-I: सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के "कॉल अप सर्विस" की अवधि को नियमों के अनुसार, आयु में छूट प्राप्त करने हेतु, सशस्त्र बलों में की गई सेवा रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी-II: संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक के लिए आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रयोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में समझा जाएगा। पद हेतु अपने आवेदन को जमा कराने के समय उसे भूतपूर्व सैनिक का स्तर प्राप्त हो एवं/या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा अपने अर्जित दावे की पुष्टि करने स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों से विनियोजन की विशिष्ट शर्त को पूर्ण करेगा अथवा अन्यथा उसे कदाचार या अयोग्यता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।

विवरण: भूतपूर्व सैनिक से सम्पर्क ऐसे व्यक्ति से है-

- (1) वे भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में चाहे लड़ने वाले या न लड़ने वाले के रूप में किसी पद पर सेवा कर चुके हों, एवं
 - (क) वे अपनी इच्छा से या नियोक्ता द्वारा इस तरह की सेवाओं से अपनी पेंशन प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो या भारमुक्त या सेवा मुक्त किए गए हों; अथवा
 - (ख) वे मिलिट्री सेवा की विशेष चिकित्सा आधार पर अथवा उसके नियंत्रण के आगे की स्थिति में इस तरह की सेवा से निवृत्त हो चुके हों और चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्राप्त कर्ता हों; अथवा
 - (ग) वे जिन्हें संगठन में ह्रास के परिणामस्वरूप सेवाओं से मुक्त किए गए हों; अथवा
- (2) स्वयं के अनुरोध पर, कदाचार अथवा अकुशलता के कारण हटाए अथवा बर्खास्त किए गए हैं और जिन्हें गैरच्युटी दी गई है और टेरिटोरियल आर्मी के कार्मिक शामिल हैं, के अलावा वे जो नियुक्ति की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं अर्थात्, निरंतर नियमित सेवा अथवा हिस्सों में दी गई पात्रता सेवा हेतु पेंशन धारक; अथवा
 - (I) सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा सेना डाक सेवा से पेंशन सहित उनकी पूरा सेवा में वापिस नहीं गए, अथवा सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त हुए हैं जो मिलिट्री सेवा द्वारा अथवा उनके नियंत्रण के परे परिस्थितियों को दर्शाता हो तथा चिकित्सा एवं अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हों; अथवा
 - (II) वे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1988 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि तक आर्मी डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; अथवा

Dr. M. Singh

- (III) टैरीटोरियल आर्मी के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; अथवा
- (IV) वे कार्मिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर बोर्ड द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो तथा चिकित्सा विकलांगता पेंशन स्वीकृत की गई हो।

नोट-III: भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देय नहीं है।

नोट-IV: मैट्रीकुलेट भूतपूर्व सैनिक (इसमें वे भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हैं जिन्होंने भारतीय सेना का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके नौ सेना अथवा वायु सेना में समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो) जिसने संघ के सशस्त्र बलों ने 24.05.2015 को 15 वर्ष की सेवा प्रदान की हो वह इस परीक्षा के द्वारा प्रकाशित की जा रही समूह "ग" के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य समझे जाएंगे। इस प्रकार वे गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख को सेवा के 15 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं अथवा नोट-III में दर्शायी गई समय सीमा के अंदर सेवा के 15 वर्ष पूर्ण नहीं करेंगे, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

A. G. Singh



**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029
RECRUITMENT NOTICE NO.1/2019**

Common Applications are invited in the prescribed form through online mode for filling Nursing Officer post for AIIMS, New Delhi and 4 Central Government Hospitals i.e. (1. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital (RMLH), 2. Safdarjung Hospital (SJH), 3. Lady Hardinge Medical College (LHMC) & Smt. Sucheta Kriplani Hospital (SSKH) and 4. Kalawati Saran Children's Hospital (KSCH) New Delhi. The detail of vacancy at AIIMS, New Delhi is as under:-

S.No.	Name of the Post, Pay Band & Grade Pay and Essential eligibility criteria	Group	Age Limit for Direct Recruits	Number of vacancies (s)* and reservation	Process of Selection
1.	<p>Nursing Officer, Level 07 in the Pay Matrix (pre-revised Pay Band-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600/-</p> <p>Educational Qualifications:</p> <p>I. (i) B.Sc. (Hons.) Nursing/ B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute or University; Or B.Sc (Post-certificate)/Post Basic B. Sc. Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute or University; (ii) registered as Nurse & Midwife with State/Indian Nursing Council</p> <p>OR</p> <p>II (i) Diploma in General Nursing Midwifery from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute/Board or Council; (ii) Registered as Nurses & Midwife in State/Indian Nursing Council recognized Institute/Board or Council; (iii) Two years' experience in minimum 50 bedded Hospital after acquiring the educational qualification mentioned at II. (i) above.</p>	B	Between 18 and 30 years	503 posts (UR-282, SC-66, ST-32 and OBC-123) 52 posts are reserved for PWBD (includes 32 Backlog vacant posts) **Details about PWBD eligibility may be seen at Annexure -I	Written Test only

* The number of posts mentioned is tentative and may change based on the Institute's requirements.

GENERAL CONDITIONS

1. The posts carry usual allowance as admissible to Central Government Servant of similar status stationed at Delhi/New Delhi.
2. The aspiring applicants satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application only through **ON-LINE** mode. The On-line registration of applications will be made available on AIIMS web site www.aiimsexams.org from **01.08.2019 to 21.08.2019 upto 5:00 P.M.** No documents including the Registration Slip of on-line application form is required to be sent, **however, all the applicants are advised to keep a copy of registration slip with them, alongwith proof of payment for their record.**
3. The On-line Registration will be closed by **05:00 PM on 21.08.2019.** The candidature of such applicants who fails to complete the online registration by the stipulated date and time will not be considered and no correspondence in this regard will be entertained.
4. They must be fulfilling all the eligibility criteria as on the closing date of online registration/submitted application, failing which their application will be rejected.
5. The applicants applying in response to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for.
6. **The candidate must ensure that their photo, signature and thumb impression should be as per the Guidelines mentioned in the 'Upload Image Instructions' given in the General links and are clearly visible in preview at the time of filling of application in online mode. If photo/signature/thumb impression image is not as per instructions given in the 'Upload Image Instructions' in that case, your application will be rejected. So, be careful while uploading your photo, signature and thumb impression.**

7. APPLICATION FEES:

- 1) A) General/OBC Candidates - Rs.1500/- (Rupees Fifteen Hundred only)
 - B) SC/ST Candidates/EWS - Rs.1200/- (Rupees Twelve Hundred only)
 - C) Persons with Disabilities - Exempted
- 2) The candidate can pay the prescribed application fee through DEBIT CARD/CREDIT CARD/NETBANKING. Transaction / Processing fee, if any, as applicable, will be payable to the bank by the candidate.
 - 3) **Application fee once remitted shall not be refunded under any circumstances.**
 - 4) Applications without the prescribed fee would not be considered and summarily rejected.

8. AGE RELAXATION:


- 1) Upper age limit, to determine eligibility in terms of all other qualifications (Experience) last date of Online registration/submission of applications i.e. 21.08.2019 will be the cut off date.
- 2) SC/ST/OBC candidates who opt to apply for unreserved vacancies will not be eligible for age relaxation or relaxation in cut off marks which are otherwise allowed to those belonging to these categories *.
- 3) Age relaxation is permissible to various applicants is as under:-

S.No.	Category	Age Relaxation permissible beyond the Upper age limit beyond 30 years.
1.	SC/ST	5 years
2.	OBC	3 years
3.	PWBD	10 years
4.	PWBD + OBC	13 years
5.	PWBD + SC/ST	15 years
6.	Ex Servicemen and commissioned Officers including ECO/SSCOs	5 years (For details referred to Annexure-II)
7.	Central Govt. Civilian Employees – for Group B posts	
	1) Central Govt. Civilian Employees (General/Unreserved) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt for online registration. of application	5 years
	2) Central Govt. Civilian Employees (OBC) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for online registration	8 (5 +3) years
	3) Central Govt. Civilian Employees (SC/ST) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for online registration	10 (5+5) years

* In case any reserved category candidate is given advantage of provision of age relaxation and is on merit eligible to be considered against UR seat, such candidates will not be considered against UR but only for respective reserved category seat only.

9. Candidates applying under any of the reserved category viz. SC/ST/OBC will be considered subject to submission of Caste certificate on a prescribed format issued by the competent authority. Candidates applying under OBC category must bring the caste certificate in the format provided by the DoP&T vide O.M. No. 36036/2/2013-Estt. (Res.) dated 30.05.2014 which has been issued not earlier than one year from the last date of online registration Certificate must be valid for employment in Central Government Institutions. **OBC candidate's eligibility will be based on Castes borne in the Central List of Govt. of India.** OBC candidates should not belong to Creamy Layer. Their Sub-caste should match with the entries in Central List of OBC, failing which their candidature will not be considered under any of the applied reserved category and will be treated as UR.

iii) For Persons with Disability, Disability Certificate issued by duly constituted and authorized Medical Board in the proforma prescribed by the Department of Personnel & Training Vide O.M. No. 36035/3/2004-Estt. (Res.) dated 29.12.2005. The details regarding PWBD may be seen at Annexure-I



iv) The vacancies advertised under EWS Category is as per the instructions issued by DoPT, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, Govt. of India, vide OM. No. 36039/1/2019-Estt (Res), dated 31.01.2019. EWS category will be considered subject to submission of Income and Assets certificate on a prescribed format issued by the competent authority and subject to verification of ~~genuine~~ ^{genuineness} of the certificate by the issuing authority

10. Online (CBT) mode Examination

Online (CBT) mode Examination will be held as per the following schedule:-

S. No.	Date of Online (CBT) mode Examination	Cities in which Examination will be held	Date of Declaration of Result
1.	15.09.2019 (Sunday)	Major cities in India	24.09.2019

11. The detailed information viz. (date of uploading of Status of application, date of uploading of Admit card etc.) related to conduct of Examination and its result will be uploaded under Scheme of Examination by the Examination Section, AIIMS, New Delhi in due course of time in the website www.aiimsexams.org Candidates are advised to download their Admit Card from AIIMS web site www.aiimsexams.org as no admit card will be sent by post.
12. The candidates are advised to bring Admit Card downloaded from AIIMS website at the time of Online (CBT) mode Examination and hand over the same to the Invigilator after completing the Examination, failing which their candidature/performance in the Online (CBT) mode Examination will not be considered.
13. The original certificates/documents of successful candidates will be verified for which dates will be notified after declaration of result. On the basis of Online (CBT) mode Examination, the provisionally qualified candidates will be required to produce original certificates as given below along with one photocopy of all these document which are , duly attested/self attested. Document required are : i) Copy of downloaded Registration Slip of on-line application form. ii) Copy of downloaded Admit Card. iii) Certificate showing the Date of Birth. iv) Caste certificate if applied under SC/ST/OBC category issued by the competent authority. v) Disability Certificate, if applied under PWBD category. vi) 'No Objection Certificate' if in regular employment. vii) Education qualification viii) INC/State Nursing Council registration ix) Experience certificate, if any.
14. Those who are in employment with state/Central Govt/PSU, must submit a **"NO OBJECTION CERTIFICATE"** from the employer at the time of verification of documents.
15. **Any dispute in regard to any matter referred to herein shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts alone.**
16. **GUIDELINES/INSTRUCTIONS TO FILL APPLICATION FORM:-** See the Help Manual available online at www.aiims.edu and www.aiimsexams.org
17. As per the directions received from Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi vide File No.Z-28015/01/2019-H-I dated 25th July, 2019, for conducting joint competitive examination for the post of Nursing Officer of 4 Central Government Hospitals i.e. 1. **Dr. Ram Manohar Lohia Hospital (RMLH)**, 2. **Safdarjung Hospital (SJH)**, 3. **Lady Hardinge Medical College(LHMC) & Smt. Sucheta Kriplani Hospital (SSKH) and 4. Kalawati Saran Children's Hospital (KSCH) New Delhi.** In this regard, Examination Section, AIIMS, New Delhi will be conducting a combined Online (CBT) mode Recruitment Examination for the post of Nursing Officer for AIIMS New Delhi and above mentioned Hospitals as per the Recruitment Rules of AIIMS, New Delhi and other Hospitals, with single Registration process for all the institutions/ hospitals. The details of the posts are indicated in the advertisements of AIIMS New Delhi & Dr. RML Hospital (Nodal Hospital for all 4 Central

Government Hospitals) separately. However, the applicant will have to give their choice of preference in the single online Registration form. The appointment will be subject to fulfillment of eligibility of the candidate for the respective institution/ hospital. Therefore, candidate may be eligible for any one or more institutions/ hospital. Qualified candidates can opt for any of the institutions/ hospitals depending on their merit and eligibility as applicable.


S/d
ADMINISTRATIVE OFFICER (RECTT.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Singh', written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

Explanatory note for applicant applied under PWBD category

- All PWBD candidates with disabilities mentioned in Section 32 (1) of Rights of Persons with Disability Act, 2016, are eligible to apply under this category provided they have benchmark disability of equal to or more than 40%.
- As per the Section 34 (1) of Rights of Persons with Disability Act, 2016, process to identify suitable post for different newly added categories of disabilities is under way. In the interim, it has been decided that for recruitment of nurses, anyone with any Bench Mark Disabilities including acid attack victims, and other new categories of disabilities can apply under PWBD category.
- Applicant should make sure that he/she is be able to meet physical requirements of S (Sitting), ST (Standing) W (Walking), SE (Seeing), RW (Reading and Writing), C (Communication).
- Applicant should qualify in the written exam cut off % for PWBD candidate will be 40%.*.
- After any candidate qualifies the written examination, such candidates will be subjected to medical examination by a board constituted by AIIMS to ascertain their suitability for the job.

* As per DOPT office memorandum No. No.36035/02/2017-Estt (Res) dated 15.01.2018 Same relaxed standard should be applied for all the candidates with Benchmark Disabilities whether they belong to Unreserved/SC/ST/OBC. No further relaxation of standards will be considered or admissible in favour of any candidate from any category whatsoever.



Explanatory note for applicant applied under Ex. Serviceman category

	<p>Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Five years subject to the condition that on the closing date for receipt of applications the continuous service rendered in the Armed Forces by an Ex-Serviceman is not less than six months after attestation. This relaxation is also available to ECOs/SSCOs who have completed their initial period of assignment of five years of Military Service and whose assignment has been extended beyond five years as on closing date and in whose case the Ministry of Defence issues certificates that they will be released within 3 months on selection from the date of receipt of offer of appointment. <p>NOTE: Ex Servicemen who have already secured regular employment under the Central Govt. in a Civil Post are permitted the benefit of age relaxation as admissible for Ex-Servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Govt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Candidates claiming age relaxation would be required to produce a certificate in the prescribed proforma). In order to qualify for the concession as above, candidates concerned would be required to produce a certificate that they have been released from the Defence Forces. The certificate for Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs should be signed by the appropriate authorities specified below and should also specify the period of service in the Defence Forces:- <p>(i) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs: Army: Directorate of Personnel Services, Army Headquarters, New Delhi. Navy: Directorate of Personnel Services Naval Headquarters, New Delhi. Air Force: Directorate of Personnel Services, Air Headquarters, New Delhi.</p> <p>(ii) In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Forces: Army: By various Regimental Record Offices. Navy: Naval Records, Bombay Air Force: Air Force Records, New Delhi. In order to qualify for the concession under (a) above,</p>
--	--	--

NOTE-I: The period of "Call up Service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation, as per rules.

NOTE-II: For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the time of submitting his/her application for the Post, the status of ex-serviceman and /or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION or otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

EXPLANATION : An 'ex-serviceman' means a person –

Amil

- (i) who 'has served in any rank whether as a combatant or noncombatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the India Union, and
- (a) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; or
 - (b) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
 - (c) who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or
- (ii) who has been released from such service after completing the specific period of engagement, other than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service; or
- (i) personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension; or
 - (ii) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1988; or
 - (iii) Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or
 - (iv) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension.

NOTE-III: AGE CONCESSION IS NOT ADMISSIBLE TO SONS, DAUGHTERS AND DEPENDENTS OF EX-SERVICEMEN.

NOTE-IV: A Matriculate Ex-Serviceman (includes an Ex-Serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on 24.05.2015 with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group "C" posts being advertised through this examination. Thus, those Non-Graduate Ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date for receipt of application or would not complete 15 years of service within the time limit specified in Note-III are not eligible to apply for this examination.

